न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 27/2014 अपील (RCMS/2014/00004)
पंजीयन दिनांक — 24.12.2014
निर्णय दिनांक — 28.05.2019

1. श्री सुनिल सिंघवी पिता स्व. श्री विजयसिंह सिंघवी, निवासी 54/1, पुराना फतहपुरा, सेवा मंदिर रोड़, उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, उदयपुर—द्वितीय, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री पन्नालाल मारू — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल — वकील रेस्पोडेंट संख्या—2

प्रकरण संख्या—274/2012, श्री सुनिल सिंघवी, उदयपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 28.05.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या—274/2012, श्री सुनिल सिंघवी, उदयपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अपीलार्थी श्री सुनिल सिंघवी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया और कथन किया कि ग्राम गोवर्धन विलास, पटवार क्षेत्र गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा, में अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियों की खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि खसरा नम्बर 135, 1056/132 एवं 1107/132 अन्य आबादी की भूमियों के साथ स्थित है। उक्त भूमि को पहले महाराज श्री भगवतसिंह जी ने मेवाड़ स्टेट, उदयपुर से 4000/— रूपये में प्राप्त किया था जिसका पट्टा महकमा खास द्वारा महाराज श्री भगवतसिंह जी के पक्ष में जारी किया गया था। महाराजा श्री भगवतसिंह जी से उक्त भूमि श्री अरविन्दसिंह जी को प्राप्त हुई उसके उपरान्त उत्तरोत्तर हस्तान्तरित होते हुए अपीलार्थी व अन्य सहस्वामियों को प्राप्त हुई जो उनके नाम बतौर खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है। ग्राम गोवर्धन विलास का गत सेटलमेंट सन् 1980

से 1985 के बीच सम्पादित हुआ तब भू.प्रबन्ध विभाग की गलती से हरी लाईन (ग्रीन लाईन) को प्रश्नगत विवादित भूमि के अन्दर की पूर्व की ओर हरे रंग से अंकित कर दिया गया जबकि उक्त हरे रंग की सीमा रेखा खसरा नम्बर 134 की पश्चिमी सीमा से उत्तर एवं दक्षिण और पहले के सेटलमेंट के नक्शें के अनुसार अंकित होनी चाहिए थी। भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल बन्दोबस्त में 1964 में गजट नोटिफिकेशन के विरूद्ध नयी हरी लाईन डाला जाना वन संरक्षक अधिनियम 1980 एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का उल्लघंन है। भू.प्रबन्ध विभाग के द्वारा जो नक्शा शीट सन् 1980 से 1985 के मध्य हुए सेटलमेंट के दौरान तैयार की गई है उसमें गलती से जो हरी लाईन (ग्रीन लाईन) से अंकन किया गया है, जिसकी पुष्टि 1982 के सेटलमेंट नक्शें से होती है, उस आधार पर वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी विवादित भूमि में हस्तक्षेप करने पर उतारू है। उक्त भूमि खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है जो किसी भी स्थिति में वन भूमि में नहीं ली जा सकती है किन्तु गलती भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान की गयी है जिसे दुरूस्त करना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के मध्य पूर्वी और भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से जो हरी लाईन (ग्रीन लाईन) नक्शा शीट में अंकित कर दी गई है उसे हटाई जाकर पहले फोरेस्ट सेटलमेंट के नक्शें में जहां अंकित थी, उस स्थान पर अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

- अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू.राजस्व अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके प्रकरण संख्या–274/2012 है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण में उभय पक्षों को सुना जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरस्ती का साबित नहीं होने से खारिज कर निर्णय दिनांक 12.11.2014 पारित किया गया कि–

> ''न्यायालय का मत है कि संयुक्त रिपोर्ट जिला कलक्टर (भू.अ.) उदयपुर अनुसार हाल नम्बर 135, 1056/132, 1107/132 वनक्षेत्र (वनखण्ड बांकी) में बताया गया है। हम वन विभाग द्वारा प्रस्तुत नजीरों, उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96, वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2, अरावली मिनरल्स एवं केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड निर्णय दिनांक 19.12.2001 से सहमत है कि ''राजकीय रिकार्ड में इन्द्राज शुदा एवं डिक्शनरी मिनिंग में वनरूप में समझी जाने वाली समस्त भूमि पर फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट लागू होता है। ऐसे जिन प्रकरणों में किसी सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्राधिकार के बिना ही भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के नाम जारी कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया है या किसी रिकार्ड राजस्व अभिलेख में कोई भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो तो उसे बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के गैर वानिकी के उपयोग में नहीं लिया जा सकता और ना ही वन भूमि को अनारक्षित किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज (चेन ऑफ डाक्यूमेंन्टस्) प्रस्तुत नहीं किये है जिससे साबित हो कि भूमि उसके पास किस प्रकार आई है। विवादित भूमि सर्वप्रथम किसके नाम थी एवं इसके पश्चात कौन–कौन से हस्तान्तरण से होकर किस आदेश/नामान्तरकरण से प्रार्थी के नाम दर्ज हुई के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा हरे रंग से अंकित की गई वन सीमा में खसरा संख्या–135, 1056/132

एवं 1107/132 स्थित है, जो जिला कलक्टर (भू.अ.), उदयपुर की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 13.12.2011 से साबित होता है।

प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार विवादित भूमि वन सीमा में आती है। भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा हरे रंग से अंकन की गयी वन सीमा सरकारी रिकार्ड का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से वन भूमि का किसी भी प्रकार संपरिवर्तन/हस्तान्तरण अधिनियम का उल्लघंन है। वन विभाग द्वारा सन् 20.02.1945 में सर्वप्रथम फोरेस्ट सेटलमेंट डिपार्टमेंट मेवाड़ गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई जिसमें विवादित भूमि को वन विभाग की मानी गई है तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के उपयोग नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 24.12.2014 को प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौराने अपीलीय प्रक्रिया, उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया और नियत तारिख पेशियों पर उनका पक्ष ध्यानपूर्वक सून परिशीलन किया गया। प्रकरण में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज पेश किये गए जो शामिल पत्रावली किए। साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा समय समय की गई विस्तृत बहस के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित व विस्तृत मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि ग्राम गोवर्धन विलास, पटवार क्षेत्र गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा में अपीलार्थी एवं उसके साथ सहस्वामियों की आबादी भूमि हाल आराजी नम्बर 135 मी, 1056/132 एवं 1107/132 जिसके साबिक आराजी नम्बर 406/1बी, 1/1मी., 1/1मी. अन्य आबादी भूमियों के साथ स्थित है। ग्राम गोवर्धन विलास के सन् 1964 में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर वनखण्ड कायम किया गया जिसके अनुसार वन बन्दोवस्त/सेटलमेंट विभाग के नक्शें में अंकित स्तम्भ संख्या (तुदा) 2/12 से 2/13 से 3 तक होते हुए इस सीमा से बाहर की भूमियों को अर्थात पूर्व दिशा की और भूमियों को वन विभाग से बाहर रखा गया। ग्राम गोवर्धन विलास का सेटलमेंट का नक्शा 1982 में तैयार किया गया जिसकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है यानि की वन संरक्षण अधिनियम–1980 के आने के बाद, तब भू.प्रबन्ध विभाग की गलती से हरी लाईन (ग्रीन लाईन) को उपरोक्त वर्णित प्रार्थी पक्ष की आबादी भूमि के अन्दर की ओर हरे रंग से अंकित कर दिया गया जबकि उक्त हरे रंग की सीमा रेखा खसरा संख्या–134 की पश्चिमी सीमा से उत्तर एवं दक्षिण ओर पहले के सेटलमेंट के नक्शें के अनुसार अंकित होनी चाहिए थी। भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल बन्दोबस्त में 1964 के गजट नोटिफिकेशन के विपरित हरी लाईन डाला जाना प्रत्यक्ष तौर पर वन सीमा को परिवर्तित करता है जो वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन है। पहले के फोरेस्ट सेटलमेंट के नक्शें में अंकित सीमा रेखा के स्थान पर वन विभाग की बाउण्ड्रीवाल उत्तर एवं दक्षिण की ओर जो ओदी के साथ लगी हुई है आज भी मौके पर बनी हुई मौजुद है, जिससे उक्त बाउण्ड्रीवाल के अन्दर की, पूर्वी दिशा की आबादी की भूमि अपीलान्ट की होना स्पष्ट है जो राजस्व रेकार्ड में भी अपीलान्ट के खाते दर्ज है। किन्तु सेटलमेंट के दौरान तैयार की गई नक्शा शीट में गलती से जो हरी लाईन (ग्रीन लाईन) का अंकन किया गया है,

उस आधार पर वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलान्ट एवं अन्य सहस्वामियों के आधिपत्य, उपयोग, उपभोग में हस्तक्षेप करने पर उतारू है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू. राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर सेटलमेंट के दौरान हरी लाईन के अन्दर अपीलार्थी और अन्य सहस्वामियों की भूमि गलती से अंकित कर दी, उसमें सुधार कर उक्त ग्रीन लाईन को नक्शें से हटाई जाकर पहले के फोरेस्ट सेटलमेंट एवं वर्ष 1964 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नक्शें में लाल लाईन जहां अंकित थी, उस स्थान पर अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की पूर्ण जांच किये बिना, दस्तावेजों पर पूर्ण रूप से मंथन किये बिना अपील अपीलान्ट खारिज करने में भारी विधिक त्रुटि की है।

इस प्रकरण में मुख्य विवाद हरी लाईन (ग्रीन लाईन) के अंकन/अवस्थिति का है, ग्राम गोवर्धन विलास में सन् 1964 में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर वनखण्ड कायम किया गया था। बांकी वनखण्ड की भूमि का गजट नोटिफिकेशन के अनुसार हाल राजस्व सेटलमेंट–वर्ष 1982 के पूर्व के प्रचलित राजस्व नक्शे में वन विभाग की भूमि को अलग से दर्शाते हुए लाल रंग से लाई डाली गयी है, उक्त तरमीम किये गये पटवार नक्शों को आधार बनाकर हाल के नक्शों में वनखण्ड की सीमा रेखा का अंकन करना था। गजट नोटिफिकेशन सन् 1964 में स्तम्भ संख्या 2/12 से 2/13 से 3 से कायम किये गये। इस प्रकार फोरेस्ट सेटलमेंट विभाग के नक्शें में अंकित स्तम्भ संख्या (तुदा) 2/12 से 2/13 से 3 तक होते हुए इस सीमा के बाहर की सम्पतियों को वन विभाग से बाहर रखा गया यानि वन विभाग की नहीं मानी गयी। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग को वक्त बंदोबस्त इसी एन्ट्री को दोहराना था किन्तु गलती से हरी लाईन (ग्रीन लाईन) अपीलान्ट की आबादी भूमि के अन्दर पूर्व की ओर अंकित कर दी गयी जो कि 1964 के गजट नोटिफिकेशन के विरूद्ध डाला जाना प्रत्यक्ष तौर पर जाहिर होता है। पहले के फोरेस्ट सेटलमेंट के नक्शें में अंकित सीमा रेखा के स्थान पर वन विभाग की बाउण्ड्रीवाल उत्तर एवं दक्षिण की ओर आज भी मौके पर बनी हुई मौजुद है, जिससे उक्त बाउण्ड्रीवाल के अन्दर की, पूर्वी दिशा की आबादी की भूमि अपीलान्ट की होना स्पष्ट है जो राजस्व रेकार्ड में भी अपीलान्ट के खाते दर्ज है। किन्तु वर्ष 1982 में सेटलमेंट के दौरान तैयार की गई नक्शा शीट में गलती से जो हरी लाईन (ग्रीन लाईन) का अंकन किया गया है, उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। **स्वयं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को भी यह अच्छी तरह से ज्ञान है कि वर्तमान बंदोबस्त की नक्शा शीट में हरी लाईन का अंकन गलती से हुआ है तथा इस तथ्य को स्वयं वन विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या एफ( )तक/सर्वे/10–11/110–112 दिनांक 18.01.2011 से स्वीकार भी किया गया है। इसकी सूचना भू–प्रबन्ध अधिकारी को उक्त पत्र से दी जाकर कथित हरी लाईन मान्य नहीं होने एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 03.12.1964 के अनुसार जो रेखा हाल बंदोबस्त से पूर्व विद्यमान थी उसी को हाल बन्दोबस्त के नक्शें में शीघ्रताशीघ्र पुनः स्थापित करने का निवेदन किया है।** उक्त पत्र की प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, जिला कलक्टर, उदयपुर एवं आयुक्त, भू.प्रबन्ध, जयपुर को दी गई। **इसके अतिरिक्त भी हाल ही में उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा बांकी वनखण्ड गोवर्धन विलास हेतु दिनांक 15.12.2011 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई, उसमें भी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों का अंकन नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की वादग्रस्त आबादी की भूमि वनखण्ड की नहीं है, जिससे विवादित ग्रीन लाईन गलत स्थान पर होना स्पष्ट है।**

दिनांक 27.07.1946 को महकमा खास से 100 बीघा 13 बिस्वा भूमि पट्टे से तत्कालीन मेवाड़ स्टेट द्वारा श्री कंवर सा. जी बावजी राज भगवतसिंह को दी गयी थी एवं उस समय भी भूमि में काम कमठाणों अर्थात निर्माण का अधिकार व फार्म वगेरा बनाने का अधिकार दिया गया

था। इसके पश्चात् दिनांक 20.10.1948 को तत्कालीन मेवाड़ स्टेट द्वारा जारी पट्टे से उपरोक्त वर्णित 100 बीघा भूमि के पश्चिम तरफ 173 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री कंवर सा. जी बावजी राज भगवतसिंह को दी गई जिससे कुल जमीन 274 बीघा 8 बिस्वा आबादी की भूमि कंवर सा. बावजी राज भगवतसिंह के स्वामित्व आधिपत्य की रही। सन् 1964 में फाइनल गजट नोटिफिकेशन से पूर्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण तत्कालीन न्यायालय द्वारा किया गया, उक्त आबादी भूमि 274 बीघा 8 बिस्वा से सम्बन्धित मिसल न. 25/27–58 भी चली जिसका दिनांक 01.02.1958 को यह निर्णय पारित किया गया कि उक्त 274 बीघा 8 बिस्वा भूमि को बांकी ब्लॉक से खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय वन बंदोबस्त अधिकारी को भेजा गया। इस प्रकार प्रस्तुत आपत्तियों के निराकरण पश्चात ही सन् 1964 में फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ तब प्रचलित नक्शे में बांकी वनखण्ड की लाल लाईन डाली गई जो ग्राम गोर्वधन विलास में स्थित निचला मूल के पास से डाली गई जिसके पश्चिम में बांकी वनखण्ड की भूमि व पूर्व दिशा में गोवर्धन विलास की आबादी की भूमि रही। इस कारण वर्तमान बंदोबस्त–हाल नक्शों की मूल शीट में जो हरी लाईन अंकित की गई है, वह पूर्णतया गलत है। हरी लाईन कब व किसके द्वारा व क्यों डाली गई, इसका भी रेस्पोडेंट वन विभाग के पास कोई उचित जवाब नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96 में प्रदत्त निर्देशों का अपीलार्थी के विरूद्ध उपयोग किया जो पूर्णतया गलत है क्योंकि वन विभाग द्वारा उक्त निर्णय में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतया उल्लघंन किया गया क्यों कि सन् 1964 में फाइनल गजट नोटिफिकेशन से पूर्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण तत्कालीन न्यायालय द्वारा किया गया, उक्त आबादी भूमि 274 बीघा 8 बिस्वा से सम्बन्धित मिसल न. 25/27–58 भी चली जिसका दिनांक 01.02.1958 को यह निर्णय पारित किया गया कि उक्त 274 बीघा 8 बिस्वा भूमि को बांकी ब्लॉक से खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय वन बंदोबस्त अधिकारी को भेजा गया। इस प्रकार प्रस्तुत आपत्तियों के निराकरण पश्चात ही सन् 1964 में फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और बांकी वनखण्ड की भूमि का गजट नोटिफिकेशन के अनुसार हाल राजस्व सेटलमेंट–वर्ष 1982 के पूर्व के प्रचलित राजस्व नक्शे में वन विभाग की भूमि को अलग से दर्शाते हुए लाल रंग से लाई डाली गयी है। परन्तु विभाग द्वारा बन्दोबस्त के दौरान विधि विरूद्ध तरिके हरी लाईन का अंकन कर दिया। विभिन्न वन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार भी उक्त हरी लाईन का अंकन विधि विरूद्ध है।

वन संरक्षण अधिनियम की अन्तर्गत आबादी भूमि को वन सीमा में लिया नहीं जा सकता है एवं अपीलान्ट की भूमि राजस्व अभिलेखों में स्पष्टतया आबादी में अंकित है तो किस प्रकार आबादी की भूमि वनखण्ड की हो सकती है। न ही अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियों की उपरोक्त आबादी भूमि कभी वन विभाग के नाम रही और न ही कभी आरक्षित वन रही।

निर्णय जैर अपील में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि पक्षकारों में मध्य क्या विवाद है तथा अपीलार्थी क्या दाद चाहता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वे रिपोर्ट दिनांक 13.11.2011 के अनुसार खसरा नम्बर 135मी, 1056/132 एवं 1107/132 की भूमि को वन सीमा में माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तो पत्रावली का अवलोकन किया, न ही मामलें को समझने का प्रयास किया है बल्कि इसके विपरित मन मकसूद तरीके से निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

सेटलमेंट विभाग द्वारा बंदोबस्त का जो हाल नक्शा तैयार किया गया है, उसमें हरी लाईन किस आधार पर डाली गई, इस हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 17.07.2015 से उप वन संरक्षक, उदयपुर, पत्र दिनांक 31.08.2015 से पुनः उप वन संरक्षक, उदयपुर, पत्र दिनांक 17.07.2015 से भू–प्रबन्ध विभाग, उदयपुर को, पत्र दिनांक 31.08.2015 से जिला कलक्टर, उदयपुर तथा पत्र दिनांक 14.10.2015 से तहसीलदार को लिखा गया। परन्तु सभी विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में न हो सम्बन्धित अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध कराई गई, हरी लाईन किस आधार पर डाली गई, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, सिर्फ यह अवगत कराया गया कि उक्त सूचना वह विभाग देगा, और वह विभाग बताता है कि यह विभाग देगा। कोई भी विभाग उक्त गलती से अंकित की लाईन के आधार को बताने में सक्षम नहीं रहा।

न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2017 को समक्ष पक्षकारों के आग्रह/निवेदन पर वनखण्ड बांकी के सम्पूर्ण वन भूमि के रेकार्ड, गत सेटलमेंट एवं वर्तमान सेटलमेंट के अनुरूप वनखण्ड के कब्जे में भूमि होने के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वे एवं सीमा ज्ञान हेतु एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा दो वर्ष के समय में नियमानुसार मौका निरीक्षण एवं सयुंक्त सर्वे कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.05.2019 को प्रस्तुत की गई जिसके वक्त सर्वे मौके पर व नक्शे में स्थित स्थाई बिन्दुओं को जो कि वन बन्दोवस्त के नक्शे में तथा हाल राजस्व (भू–प्रबन्ध) नक्शें में मौजुद है, से मिलान करते हुए मौके पर सर्वेक्षण कार्य किया गया। उक्त सर्वे रिपोर्ट अनुसार वन बन्दोवस्त विभाग द्वारा सन् 1945 में सर्वे कर तैयार किया गया नक्शा जिसकी आपत्तियां सुनने के बाद संशोधित कर सन् 1964 में फाईनल नोटिफिकेशन हुआ। उस नक्शें में वन विभाग की सीमा हेतु लाल लाईन दर्शित है तथा भू–प्रबन्ध विभाग (राजस्व) के हाल बन्दोवस्त के नक्शों में वन सीमा को हरी लाईन से दर्शाया गया है, जो सुपर इम्पोज किये जाने पर कहीं–कहीं पर विसंगीतपूर्ण प्रतीत होती है। इसी प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग (राजस्व) के हाल बन्दोवस्त के नक्शों पर सुपर इम्पोज करने पर निम्न स्थिति स्पष्ट होती है।

(2) यह कि गोवर्धन विलास, देवाली के नक्शें में बिन्दु C से D तक सर्वे लाईन (नीले रंग की) तथा वन बन्दोवस्त नक्शे की (लाल लाईन) लगभग मिलान होता है किन्तु हाल राजस्व नक्शें में डाली गई हरी लाईन मुताबिक ज्यादा भिन्नता है (वन बन्दोवस्त व मौके सर्वे से)

(3) यह कि गोवर्धन विलास, देवाली के नक्शें में बिन्दु D से E तक सर्वे लाईन (नीली) वनबन्दोवस्त की लाल लाईन तथा हाल राजस्व नक्शें की हरी लाईन तीनों ही लाईनों में भिन्नता है लाल स्याही से दर्शित क्षेत्र की बाहरी सीमा पर बन विभाग के पिलर बने हुए है (कही–कही) तथा नीली लाईन (सर्वे की) पर मौके पर वन विभाग की पक्की दिवार बनी हुई है।

उक्त सर्वे रिपोर्ट भी अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करती है और जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की वादग्रस्त आबादी की भूमि वनखण्ड की नहीं है, जिससे विवादित ग्रीन लाईन गलत स्थान पर होना स्पष्ट है। न ही अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियों की उपरोक्त आबादी भूमि कभी वन विभाग के नाम रही और न ही कभी आरक्षित वन रही।

उपरोक्त विस्तृत तथ्यों से अपीलार्थी पक्ष सविनय निवेदन करता है कि बंदोबस्त के नक्शें में जो हरी लाईन डाली गई है, वह सहवन से गलत अंकित हो गई है, जिसे सुधारी जाना न्यायहित में आवश्यक है, जो की धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दुरस्ती योग्य है। किन्तु विपरित वन विभाग द्वारा गलत एवं अवैधानिक तरिकें से इसका विरोध किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड जो अंकन भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इन इन्द्राजों को बदलने का आदेश ना हो।

भू–प्रबन्ध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात का अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राज भू–प्रबन्ध के दौरान बदले गये हो तो उनकी दुरस्ती धारा–136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनों के दुरूस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं है। यही नही भू–प्रबन्ध की कार्यवाही बंद होने के बाद भू–अभिलेख संधारण का दायित्व भू–अभिलेख अधिकारी का है और इस दौरान भी यदि इन्द्राज इत्यादि गलतियां होती है जो उनके शुद्विकरण के अधिकार भी भू–अभिलेख अधिकारी को होगे, जिस हेतु शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी हुई है। इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी जो की एक भू–अभिलेख अधिकारी भी है, उसे नक्शों में की गई गलतियों को भी सुधार करने की शक्तियां प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में बंदोबस्त के नक्शें में जो हरी लाईन डाली गई है, वह सहवन से गलत अंकित हो गई है, जिसे सुधारी जाना न्यायहित में आवश्यक है, जो की धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दुरस्ती योग्य है।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 12.11.2014 निरस्त फरमाया जावें एवं विभाग द्वारा सहवन से जो हरी लाईन (ग्रीन लाईन) नक्शा शीट में अपीलान्ट की भूमि के अन्दर अंकित कर दी गयी है, उसे हटाई जाकर पहले के फोरेस्ट सेटलमेंट में गजट नोटिफिकेशन–1964 के नक्शें में लाल लाईन पूर्व में जहा अंकित थी, उस स्थान पर अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टांत – आरआरडी 1983 पेज 64, आरआरडी 1998 पेज 261, आरआरडी 1983 पेज 364 पेश किए।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने लिखित व विस्तृत मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कराये नक्शें में भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर किए गए जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्रीनलाईन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा डाली गई है।

उक्त ग्रीन लाईन का आधार वस्तुतः मेवाड़ गर्वमेन्ट (स्टेटटाईम) के समय से ही उक्त सम्पूर्ण भू–भाग का तत्समय भी सरकारी भू–भाग होकर बांकी वनखण्ड का हिस्सा होना था जो बांकी शिकारगाह के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन समय भी उक्त स्थान वन क्षेत्र था। जिसका प्रमाण मेवाड़ गर्वमेंट के गजट नोटिफिकेशन से दर्शित होता है। जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2011 व 09.03.2015 से भी इस हरी लाईन को वन विभाग और वन क्षेत्र माना जाकर पुष्टिकरण कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय में एक तथाकथित पट्टा मेहकमा खास द्वारा जो दिनांक 20.02.1948 का जारी किया गया है जो तत्कालीन महाराज प्रमुख भोपालसिंह द्वारा उनके स्वंय के पुत्र कुंवर भगवतसिंह जो 4000 रू0 में जारी किया जाना अधीनस्थ न्यायालय में कथित किया गया था, उसके उपरान्त उक्त भू–भाग भगवतसिंह के पुत्र श्री अरविन्दसिंह जी को प्राप्त होना बताया गया है, आगे यह भी बताया गया है कि अरविन्दसिंह के उक्त भू–भाग विक्रय करने के उपरान्त आगे से आगे हस्तांरित होते हुए अपीलार्थी व उसके सहखातेदारों को प्राप्त होना बताया है लेकिन इस संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा उक्त भू–भाग अपने स्वंय के पास कैसे आया, इस संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही यह बताया गया कि उक्त भू–भाग का अपीलार्थी ने किससे क्रय किया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा न तो अपनी सहखातेदारी किससे क्रय की उसके बारे के कोई कथन किया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में विस्तृत से वर्णन किया और उनके समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज की। साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है, वह संदेह के घेरे में है, जो बनावटी प्रतीत होता है क्योंकि तथाकथित पट्टा जब जारी किया गया

तब श्री भगवतसिंह के पिता महाराज प्रमुख भोपालसिंह जी स्वयं मेवाड़ गर्वमेंट के शासक/राजा होकर सम्पूर्ण भू–भाग के स्वामी थे तो स्वयं मालिक द्वारा अपने ही पुत्र भगवतसिंह जो की स्वयं भी मालिक ही है क्यों कर उक्त भू–भाग को विक्रय करेगें। इस भूमि के पट्टे का यदि सही भी मान लिया जावें तो उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति के मेवाड़ राजघरानें के विधिक वारिसान के मध्य सम्पूर्ण सम्पत्ति बाबत बटवाड़े का वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टे के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया गया वह प्रारम्भ से एबनिश्योवोईड है।

अपीलार्थी व उसके सहखातेदारों द्वारा उक्त सम्पूर्ण भू–भाग बांकी शिकारगाह वर्ष 1989 में क्रय किये गये व उक्त सम्पूर्ण आराजीयात का अंतिम सेटलमेंट (बंदोबस्त) वर्ष 1981 से लेकर सन् 1984 के मध्य हुआ और तत्समय भी उपरोक्त वर्णित अपीलार्थी व उसके खातेदारों की आराजीयात हरी लाईन के अन्तर्गत आती थी फिर भी उक्त भूमि को क्रय किया गया जो कि प्रारम्भ से अवैध होकर शुन्य है। उपरोक्त भू–भाग बांकी शिकारगाह (बांकी वनखण्ड) निषिद्व होकर संरक्षित वनक्षैत्र में आता है। उपरोक्त प्रश्नगत आराजीयात चुंकि पूर्व में बांकी शिकारगाह के नाम से जानी जाती थी व जिसका प्रारम्भिक गजट नोटिफिकेशन अप्रेल 1942 में हुआ व देश आजाद होने के उपरान्त प्रारम्भिक नोटिफिकेशन 1954 में व अंतिम गजट नोटिफिकेशन सन् 1964 में हुआ था जिसमें भी उपरोक्त भू–भाग बांकी शिकारगाह (बांकी वनखण्ड) के अन्दर ही आता था।

संयुक्त रिपोर्ट जिला कलक्टर (भू.अ.) उदयपुर अनुसार हाल नम्बर 135, 1056/132, 1107/132 वनक्षेत्र (वनखण्ड बांकी) में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96, वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2, अरावली मिनरल्स एवं केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड निर्णय दिनांक 19.12.2001 में प्रतिपादित किया है कि राजकीय रिकार्ड में इन्द्राज शुदा एवं डिक्शनरी मिनिंग में वनरूप में समझी जाने वाली समस्त भूमि पर फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट लागू होता है। ऐसे जिन प्रकरणों में किसी सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्राधिकार के बिना ही भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के नाम जारी कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया है या किसी रिकार्ड राजस्व अभिलेख में कोई भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो तो उसे बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के गैर वानिकी के उपयोग में नहीं लिया जा सकता और ना ही वन भूमि को अनारक्षित किया जा सकता है।

इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा धारा–136 अन्तर्गत हरी लाईन को हटाने की इस्तदुआ इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से परे है। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा–125 के प्रावधान में सेटलमेंट के दौरान कब्जे के विनिश्चयन के बारे में कथित किया गया है, उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत बन्दोबस्त के दौरान जो व्यक्ति जिस भूमि पर काबिज है, उसका रिकार्ड रखा जाता था। इस प्रकरण में बंदोबस्त के समय उक्त सम्पूर्ण भूमि वनभूमि के रूप में विद्यमान थी और व कब्जा भी वन विभाग का ही था ऐसी स्थिति में बंदोवस्त अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा मानकर उसके अंकित करते हुए वनभूमि माना। जिसमें राजस्व अधिकारियों की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं रही इसलिए अपीलार्थी द्वारा जो दोषारोपण राजस्व अधिकारियों पर ग्रीन लाईन के सदंर्भ में किया जा रहा है वह पूर्णतया अनुचित है।

यह कि बांकी शिकारगाह सम्पूर्ण रकबा लगभग 2900.80 एकड के करीब है और विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी भूमि के क्षेत्रफल में कमी या बेशी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जा सकती है और किसी भी हालत में भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया जा सकता है इस प्रकार मौजूदा बांकी वनखण्ड का कुल रकबा 2900.80 एकड़ है और रेस्पोडेंट

वन विभाग अपनी उसी 2900.80 एकड भूमि को अपनी मानता है जो ग्रीनलाईन के अन्दर दर्शित की गई है।

न्यायालय हाजा समक्ष गठित टीम द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 03.05.2019 को प्रस्तुत की गई, वह पूर्णतया आपत्तिजनक है। उक्त रिपोर्ट में भी वन विभाग द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उसका अंकन किया गया है। उक्त सर्वे रिपोर्ट संदेहास्पद हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई दाद चाहते है तो इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा प्रस्तुत करें। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, जिला कलक्टर की सर्वे रिपोर्ट एवं वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानों एवं तथ्यों की सम्पूर्ण विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विस्तृत मौखिक बहस, प्रस्तुत की गई लिखित बहस, प्रस्तुत विधिक प्रावधानों, गजट नोटिफिकेशन, प्रस्तुत नजीरों इत्यादि पर ससम्मान मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील पर विचार करने उपरान्त यहां यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष क्या दाद चाहता था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया और प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के कथनों अनुसार इस प्रकरण में मुख्य विवाद हरी लाईन (ग्रीन लाईन) के अंकन/अवस्थिति का है, ग्राम गोवर्धन विलास में सन् 1964 में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर वनखण्ड कायम किया गया था। बांकी वनखण्ड की भूमि का गजट नोटिफिकेशन के अनुसार हाल राजस्व सेटलमेंट–वर्ष 1982 के पूर्व के प्रचलित राजस्व नक्शे में वन विभाग की भूमि को अलग से दर्शाते हुए लाल रंग से लाईन डाली गयी है, उक्त तरमीम किये गये पटवार नक्शों को आधार बनाकर हाल के नक्शों में वनखण्ड की सीमा रेखा का अंकन करना था। गजट नोटिफिकेशन सन् 1964 में स्तम्भ संख्या 2/12 से 2/13 से 3 से कायम किये गये। इस प्रकार फोरेस्ट सेटलमेंट विभाग के नक्शें में अंकित स्तम्भ संख्या (तुदा) 2/12 से 2/13 से 3 तक होते हुए इस सीमा के बाहर की सम्पतियों को वन विभाग से बाहर रखा गया यानि वन विभाग की नहीं मानी गयी। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग को वक्त बंदोबस्त इसी एन्ट्री को दोहराना था किन्तु गलती से हरी लाईन (ग्रीन लाईन) अपीलान्ट की आबादी भूमि के अन्दर पूर्व की ओर अंकित कर दी गयी जो कि 1964 के गजट नोटिफिकेशन के विरूद्ध डाला जाना प्रत्यक्ष तौर पर जाहिर होता है। पहले के फोरेस्ट सेटलमेंट के नक्शें में अंकित सीमा रेखा के स्थान पर वन विभाग की बाउण्ड्रीवाल उत्तर एवं दक्षिण की ओर आज भी मौके पर बनी हुई मौजुद है, जिससे उक्त बाउण्ड्रीवाल के अन्दर की, पूर्वी दिशा की खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि अपीलान्ट की होना स्पष्ट है जो राजस्व रेकार्ड में भी अपीलान्ट के खाते दर्ज है। किन्तु सेटलमेंट के दौरान तैयार की गई नक्शा शीट में गलती से जो हरी लाईन (ग्रीन लाईन) का अंकन किया गया है, उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है।

दौराने अपीलीय प्रक्रिया, उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया और नियत तारिख पेशियों पर उनका पक्ष ध्यानपूर्वक सुन कर परिशीलन किया गया। प्रकरण में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज पेश किये गए जो शामिल

पत्रावली किए। साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा समय समय की गई विस्तृत बहस के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जो उपरोक्त पैराज में वर्णित की गईं। इन सभी पर मनन करने पर पाया गया कि ग्राम गोवर्धन विलास, पटवार क्षेत्र गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा में अपीलार्थी एवं उसके साथ सहस्वामियों की भूमि हाल आराजी नम्बर 135 मी, 1056/132 एवं 1107/132 जिसके साबिक आराजी नम्बर 406/1बी, 1/1मी., 1/1मी. अन्य भूमियों के साथ स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर स्टेट समय का पट्टा उपलब्ध है, जिसके अनुसार दिनांक 27.07.1946 को महकमा खास से 100 बीघा 13 बिस्वा भूमि पट्टे से तत्कालीन मेवाड़ स्टेट द्वारा श्री कंवर सा. जी बावजी राज भगवतसिंह को दी गयी थी एवं उस समय भी भूमि में काम कमठाणों अर्थात निर्माण का अधिकार व फार्म वगेरा बनाने का अधिकार दिया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 20.10.1948 को तत्कालीन मेवाड़ स्टेट द्वारा जारी पट्टे से उपरोक्त वर्णित 100 बीघा भूमि के पश्चिम तरफ 173 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री कंवर सा. जी बावजी राज भगवतसिंह को दी गई जिससे कुल जमीन 274 बीघा 8 बिस्वा आबादी की भूमि कंवर सा. बावजी राज भगवतसिंह के स्वामित्व आधिपत्य की रही। उक्त भूमि को पहले महाराज श्री भगवतसिंह जी ने मेवाड़ स्टेट, उदयपुर से 4000/– रूपये में प्राप्त किया था जिसका पट्टा महकमा खास द्वारा महाराज श्री भगवतसिंह जी के पक्ष में जारी किया गया था। महाराजा श्री भगवतसिंह जी से उक्त भूमि श्री अरविन्दसिंह जी को प्राप्त हुई उसके उपरान्त उत्तरोत्तर हस्तान्तरित होते हुए अपीलार्थी व अन्य सहस्वामियों को उपरोक्त वर्णित आराजीयात की भूमि प्राप्त हुई जो उनके नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है जो सेटलमेंट से पूर्व व बाद भी खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि रही। **अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा समक्ष अपने कथन के समर्थन में राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत की जिसके अनुसार विवादित आराजीयात अपीलार्थी एवं उसके साथ सहस्वामियों के नाम खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है।**

दौराने बहस, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–2 ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है, वह संदेह के घेरे में है, जो बनावटी प्रतीत होता है क्योंकि तथाकथित पट्टा जब जारी किया गया तब श्री भगवतसिंह के पिता महाराज प्रमुख भोपालसिंह जी स्वयं मेवाड़ गर्वमेंट के शासक/राजा होकर सम्पूर्ण भू–भाग के स्वामी थे तो स्वयं मालिक द्वारा अपने ही पुत्र भगवतसिंह जो की स्वयं भी मालिक ही है क्यों कर उक्त भू–भाग को विक्रय करेगें। **यहां यह उल्लेखित किया जाना है कि रेस्पाडेंट संख्या–2 ने पट्टे के वैद्यता के सम्बन्ध में जो कथन किये है, उसके सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता है कि यह पट्टा अवैध है।** जहा तक राजघराने के मध्य विवाद का सम्बन्ध है, यदि कोई विवाद है भी तो इस उक्त विवाद का प्रश्नगत प्रकरण एवं उससे सम्बन्धित आराजीयात के प्रभावित होने के सम्बन्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए। अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा समक्ष प्रत्यर्थीगणों द्वारा पट्टे एवं विक्रय के सम्बन्ध में रेस्पाडेंट संख्या–2 के कथन साक्ष्य के अभाव में आधारहीन एवं औचित्यपूर्ण एवं व्यवहारिक नहीं है।

उक्त पट्टे को अवैध माने जाने का कोई आधार नहीं है क्योंकि वक्त पट्टे का राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही अंकन होकर पट्टे की वैधता को किसी न्यायालय द्वारा अमान्य नहीं किया गया है, इन परिस्थितियों में वर्ष 1948 में जारी एवं राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट पट्टे को प्रत्यर्थी–2 के कह देने मात्र से अवैध नहीं माना जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम–1876 की धारा–90 के अनुसार "जहां कोई दस्तावेज, जिनका 30 वर्ष पुरानी होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ठ मामलें में उचित समझता है, पेश की गई है, वहां न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है,

और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी, जिसके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है'' **तदनुसार पट्टा समय वर्ष 1948 से उक्त भूमि उक्त भूमि निजी आबादी की होने के खण्डन में कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भूमि तब वर्ष 1948 से आबादी में है तथा उक्त निजी खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि को वन विभाग द्वारा कब व किस आदेश/अधिसूचना से वन विभाग द्वारा लिया गया या अवाप्त की गई/अधिग्रहित की गई, इस बाबत वन विभाग द्वारा प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अपने खातेदारी को दर्शित जमाबंदी की नकले प्रस्तुत की गई जिसमें विवादित भूमि का अंकन अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के नाम दर्ज होना स्पष्टतया पाया गया है।** अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रत्यर्थीगणों द्वारा राजस्व रेकार्ड के विवादित भूमि, जो अपीलार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है, उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र-136 के निरस्तारण के दौरान कोई आपत्ति दर्ज उजर की, न ही न्यायालय हाजा समक्ष उजर किया कि अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के नाम खातेदारी में होकर किस्म आबादी गलत दर्ज की गई है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी प्रतीत नहीं होता है कि उक्त राजस्व रेकार्ड के अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के नाम का अंकन को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई। राजस्व विभाग द्वारा अपने राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दियों के अंकन से पूर्व नियमानसुार जांच कर एवं विधिक दस्तावेजों के आधार पर खातेदारो के नाम भूमि की प्रकृति को दर्शाते हुए अंकन किया जाता हैं। यदि यह जमाबन्दी में यह अंकन गलत किया जाता तो विभाग इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करता। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण मे यह नहीं किया जाता प्रतीत होता है। **जब अपीलार्थी द्वारा अपने खातेदारी के सम्बन्ध में जमाबन्दी के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए है, तो उक्त दस्तावेजों को असत्य साबित करने का भार सम्बन्धित विभाग पर था। परन्तु आलौच्य आदेश पारित से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भार अपीलार्थी/प्रार्थी पर आयत किया है जो उचित नही है क्योंकि किसी पक्षकार द्वारा यदि कोई तथ्य रिकार्ड से प्रमाणित किया जाता है तो उसके खण्डन का दायित्व प्रतिपक्ष को होता है, न कि उसी आवेदक का। इस प्रकरण में भूमि निजी खातेदारी में होकर किस्म आबादी की प्रारम्भ से होकर नवीनतम राजस्व रिकार्ड अनुसार निजी खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज होने के प्रारम्भिक रिकार्ड साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा जमाबन्दी पेश की गई है तो इस दौरान भूमि रेस्पाडेंट विभाग की होने का दायित्व रेस्पोडेंट का है एवं रेस्पोडेंट द्वारा इस बाबत कोई प्रभावी साक्ष्य पेश नहीं किए। उक्त भूमि अपीलार्थी के अलावा कभी वन विभाग के नाम दर्ज रही एवं न ही कभी वन विभाग के कब्जे रही है, इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराए गए** (इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आने वाले पेरा में भी किया गया है)। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न करना की, अपीलार्थी के नाम विवादित भूमि कब व कैसे आयी, औचित्यहीन एवं पूर्णता गलत प्रतीत होती है जबकि विवादित भूमि को पहले महाराज श्री भगवतसिंह जी ने मेवाड़ स्टेट, उदयपुर से 4000/- रूपये में प्राप्त किया था जिसका पट्टा महकमा खास द्वारा महाराज श्री भगवतसिंह जी के पक्ष में जारी किया गया था। **महाराजा श्री भगवतसिंह जी से उक्त भूमि श्री अरविन्दसिंह जी को प्राप्त हुई उसके उपरान्त उत्तरोत्तर हस्तान्तरित होते हुए अपीलार्थी व अन्य सहस्वामियों को उपरोक्त वर्णित आराजीयात की भूमि प्राप्त हुई जो उनके नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है जो हाल सेटलमेंट के पूर्व में भी आबादी भूमि रही।**

– उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह प्रश्न उजर होता है कि विवादित भूमि कभी वन विभाग के नाम पर रही या नहीं, विवादित भूमि कभी आरक्षित वन थी या नहीं। प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से यह कथन किया गया था कि विवादित भूमि आरम्भ से ही वनखण्ड बांकी का भाग था जिसका प्रारम्भिक गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20.02.1954 एवं अंतिम गजट नोटिफिकेशन

दिनांक 13.10.1964 को हुआ। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि सन् 1964 में फाइनल गजट नोटिफिकेशन से पूर्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण तत्कालीन न्यायालय द्वारा किया गया, उक्त आबादी भूमि 274 बीघा 8 बिस्वा से सम्बन्धित मिसल न. 25/27–58 भी चली जिसका दिनांक 01.02.1958 को यह निर्णय पारित किया गया कि उक्त 274 बीघा 8 बिस्वा भूमि को बांकी ब्लॉक से खारिज किया जाता है। गजट नोटिफिकेशन सन् 1964 में स्तम्भ संख्या 2/12 से 2/13 से 3 से कायम किये गये। इस प्रकार फोरेस्ट सेटलमेंट विभाग के नक्शें में अंकित स्तम्भ संख्या (तुदा) 2/12 से 2/13 से 3 तक होते हुए इस सीमा के बाहर की सम्पतियों को वन विभाग से बाहर रखा गया यानि वन विभाग की नहीं मानी गयी। **इसके अतिरिक्त भी उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा बांकी वनखण्ड गोवर्धन विलास के सम्बन्ध में पब्लिक डोमेन में दिनांक 15.12.2011 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई जिसमें ग्राम गोवर्धन विलास देवाली के वन विभाग के मालिकाना हक सम्बन्धित खसरों का वर्णन किया उसमें भी अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के आधिपत्य स्वामित्व के खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि सम्बन्धी उपरोक्त खसरा नम्बरों का अंकन नहीं है।**

यह स्पष्ट है कि वनखण्ड बांकी का प्रारम्भिक गजट नोटिफिशेन दिनांक 20.02.1954 को जारी हुआ। परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में उक्त मिसल न. 25/27–58 की प्रमाणित छाया प्रति पेश की जिससे अवलोकन से उक्त कथन की पुष्टि होती है कि दिनांक 01.02.1958 को पारित निर्णय से उक्त 274 बीघा 8 बिस्वा भूमि को बांकी ब्लॉक से बाहर किया जाता है। **प्रत्यर्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय को कही चुनौती दी गई। ऐसी स्थिति में यह निर्णय उक्त भूमि के सम्बन्ध अंतिम माना जा सकता है।**

पत्रावली पर उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.10.1964 का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिफिकेशन से गोवर्धन विलास, नाई, सीसारमा, बलीचा, शहर उदयपुर की 2900.80 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया। गजट नोटिफिकेशन सन् 1964 में स्तम्भ संख्या 2/12 से 2/13 से 3 से कायम किये गये। इस प्रकार फोरेस्ट सेटलमेंट विभाग के नक्शें में अंकित स्तम्भ संख्या (तुदा) 2/12 से 2/13 से 3 तक होते हुए इस सीमा के बाहर की सम्पतियों को वन विभाग से बाहर रखा गया यानि वन विभाग की नहीं मानी गयी। जैसा की उपरोक्त पेराज में वर्णित है कि ग्राम गोवर्धन विलास, पटवार क्षेत्र गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा में अपीलार्थी एवं उसके साथ सहस्वामियों की भूमि हाल आराजी नम्बर 135 मी, 1056/132 एवं 1107/132 जिसके साबिक आराजी नम्बर 406/1बी, 1/1मी., 1/1मी. अन्य भूमियों के साथ स्थित है। उक्त आराजीयात को उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा बांकी वनखण्ड गोवर्धन विलास के सम्बन्ध में पब्लिक डोमेन में दिनांक 15.12.2011 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई जिसमें ग्राम गोवर्धन विलास देवाली के वन विभाग के मालिकाना हक सम्बन्धित खसरों का वर्णन किया, उसके परिपेक्ष्य में परिक्षण किया गया। उक्त विज्ञप्ति में अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के आधिपत्य स्वामित्व के आबादी भूमि सम्बन्धित उपरोक्त खसरा नम्बरों का अंकन नहीं पाया गया है। **ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात कभी वन विभाग के मालिकाना हक में नहीं रही है जो गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.10.1964 व राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी व अन्य सहस्वामियो के नाम खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज होने के साक्ष्य से प्रमाणित होती है।**

– इसके उपरान्त प्रश्न उजर होता है कि नक्शें में विवादित आराजीयात के समक्ष स्थित हरी लाईन का अंकन किया गया है, वह कब, किसके द्वारा, किस आदेश से किया गया है। यह स्पष्ट है कि ग्राम गोवर्धन विलास का सेटलमेंट सन् 1980 से 1985 के बीच सम्पादित हुआ और

1982 के नक्शें में विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन का नक्शें में अंकन किया गया। दौराने बहस, प्रत्यर्थीगण सख्या–2 द्वारा अवगत कराया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कराये नक्शें में भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर किए गए जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्रीनलाईन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा डाली गई है। प्रत्यर्थीगण के कथन का उक्त नक्शें के परिपेक्ष्य में परिक्षण किया और पाया गया कि उक्त नक्शें में भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर किए गए। **परन्तु यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह विवादित भूमि की अवस्थिति में ग्रीन लाईन किस सक्षम आदेश से अंकित की गई। प्रत्यर्थीगणों द्वारा न ही अधीनस्थ न्यायालय एवं न ही न्यायालय हाजा समक्ष उस आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा विवादित आराजीयात के समक्ष स्थित हरी लाईन का अंकन किया गया। नक्शें में हरी लाईन की वैधानिकता के बारे में कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है।**

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा के पत्र दिनांक 12.01.2016 से न्यायालय हाजा को अवगत कराया गया कि 'ग्राम गोर्वधन विलास, तहसील गिर्वा में स्थित आराजी नम्बर 135 मी, 1056/132 एवं 1107/132 जिनके साबिक आराजी नम्बर 406/1बी, 1/1मी., 1/1मी. स्थिति है। उक्त ग्राम के राजस्व नक्शें जो उपलब्ध कराये है वह नवीन सेटलमेंट होने के पश्चात् भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे जिसमें हरी लाईन डाली हुई थी। इस कार्यालय द्वारा उक्त नक्शों में कोई हरीलाईन नहीं डाली गई।'

अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आपत्तियों के निराकरण पश्चात ही सन् 1964 में फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ तब प्रचलित नक्शे में बांकी वनखण्ड की लाल लाईन डाली गई जो ग्राम गोर्वधन विलास में स्थित निचला मूल के पास से उत्तर एवं दक्षिण की ओर डाली गई जिसके पश्चिम में बांकी वनखण्ड की भूमि व पूर्व दिशा में गोवर्धन विलास की खातेदारी में होकर किस्म आबादी दज भूमि रही। इस कारण वर्तमान बंदोबस्त–हाल नक्शों की मूल शीट में जो हरी लाईन अंकित की गई है, वह पूर्णतया गलत है। हरी लाईन कब व किसके द्वारा व क्यों डाली गई, किस सक्षम आदेश से अंकित की गई, इसका भी रेस्पोडेंट वन विभाग के पास कोई उचित जवाब नहीं है। **नक्शें में हरी लाईन की वैधानिकता के बारे में कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है।** इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया और पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजीयात के समक्ष स्थित हरी लाईन कें अंकन के सम्बन्ध में पारित आदेश, उसके आधार एवं अन्य के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना चाही गई। **इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा किए गये पत्राचार एवं विभागों द्वारा जारी पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की गई जिससे यह प्रतीत होता है कि विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई और वस्तुस्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया कि विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन किन आधारों एवं किन आदेशों से अंकित की गई। नक्शें में हरी लाईन की वैधानिकता के बारे में कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन का अंकन बिल्कुल अनुचित है एवं बिना सक्षम स्वीकृति के किया गया है।**

– अब यह प्रश्न उचर होता है कि विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन का जो अंकन किया गया है, वह विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत है या नहीं, जो नजीरे प्रस्तुत की गई है, वह अपीलार्थी पर चस्पा होती है है या नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित पेरा से यह स्पष्ट किया गया है कि **उपरोक्त वर्णित पेराज में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित भूमि वन विभाग के नाम नहीं रही है, गजट नोटिफिकेशन 1964 से यह भूमि आरक्षित वन नहीं रही है और अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारों**

के नाम खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है। आरक्षित वन भूमि में सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम–1980 जो माह अक्टूम्बर, 1980 से प्रभाव में आया, जिसके अनुसार–

The Forest (Conservation) Act, 1980

2. Restriction on the dereservation of forests or use of forest land for non-forest purpose – Notwithstanding anything contained in any other law for the time being force in a State, no State Government or other authority shall make, except with prior approval of the Central Government, any order directing –

(i) that any reserved forest (within the meaning of the expression "reserved forest" in any law for the time being in force in that State) or any protion

thereof, shall ceased to be reserved.

(ii) that any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose;

Chapter-II of Reserved forest

3. Power to reserve forest: The State Government may constitute any forest land or waste land, which is the property of State Government or over which the State Government has proprietory rights, or to the whole or any part of the forest produce of which State Government is entitled, a reserved forest in the manner hereinafter provided.

The State Government shall publish a notification in the official Gazettee specifying definitely, according to boundry marks erected or otherwise, the limits of the forest which is to be reserved, and declaring the same to be reserved from a date fixed by the notification.

उपरोक्त अधिनियम से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को किसी वन भूमि व वन भूमि को आरक्षित करने का अधिकार है परन्तु आवश्यक यह है कि उक्त भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति हो या जिस पर राज्य सरकार का मालिकाना हक हो। उक्त आरक्षित वन भूमि का किसी भी प्रकार का गैर वानिकी उपयोग बिना केन्द्र सरकार की अनुमति से नहीं किया जा सकेगा। **प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजीयात की भूमि गजट नोटिफिकेशन 1964 के अनुसार, विज्ञप्ति दिनांक 15.12.11 एवं भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत जमाबन्दी, पट्टे एवं मिसल इत्यादि के अनुसार आरक्षित वन भूमि नहीं है, हाल सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद में यह भी खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज रही है, परन्तु उक्त अधिनियम का उल्लघंन करते हुए विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हाल नक्शें में विवादित ग्रीन लाईन का गलत अंकन कर दिया गया। यह विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन का अंकन बिना किसी सक्षम आदेश, बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के एवं नियमों के विपरित किया गया है।**

भू–प्रबन्ध दौरान तैयार नक्शा शीट में हरी लाईन का अंकन किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन सरंक्षक राजस्थान जयपुर ने मुख्य वन सरंक्षक, उदयपुर को लिखे पत्रांक 2677 दिनांक 10.11.2010 से यह स्पष्ट किया है कि **नोटिफाईड वन भूमि की सीमा गजट नोटिफिकेशन में अंकित होना अटल है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए राजस्व विभाग अथवा अन्य कोई अधिकृत नहीं है।**

इसी पत्र की निरंतरता में उपवन सरंक्षक (दक्षिण), उदयपुर ने भू–प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर को सम्बोधित करते हुए पत्र दिनांक 18.01.2011 प्रेषित किया जिसके अनुसार–

> ''गजट नोटिफिकेशन के अनुसार परिभाषित वन सीमा को बगैर भारत सरकार की स्वीकृति के रद्दोबदल करना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रकरण में प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक 2677 दिनांक 10.11.2010 से यह स्पष्ट किया है कि नोटिफाईड वन भूमि की सीमा गजट

नोटिफिकेशन में अंकित होना अटल है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए राजस्व विभाग अथवा अन्य कोई अधिकृत नहीं है।

अतः कृपया संयुक्त गठित सर्वे टीम द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों अनुसार वनखण्ड बांकी में राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 3.12.1964 के आधार पर साबिक बन्दोबस्त में जो वन सीमा का जो रेखांकन किया गया था उसे ही वास्तविक एवं मूल वन सीमा मानते हुए हाल बंदोबस्त मानचित्र में दुरूस्तीकरण करवाया जाकर इस कार्यालय को सूचित कराने का कष्ट करें। हाल बन्दोबस्त में जो वन सीमा रेखांकन किया गया है उससे यह विभाग सहमत नहीं है एवं यह त्रुटिपूर्ण रेखांकन विभाग को मान्य नहीं है। अतः वनखण्ड बांकी के राज्य सरकार द्वारा किए गए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 3.12.1964 के आधार पर साबिक बन्दोबस्त नक्शें में जो रेखाकंन हॉल सेटलमेंट से पूर्व प्रचलित था उसी को हाल राजस्व नक्शें में स्थानान्तरित कराने का कष्ट करें। पुनः निवेदन है कि प्रकरण की गम्भीरता एवं महत्व को देखते हुए शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करावें।''

उक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि वनखण्ड बांकी में राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन 1964 के आधार पर साबिक बन्दोबस्त में जो वन सीमा का जो रेखाकंन लाल लाईन किया गया था उसे ही वास्तविक एवं मूल वन सीमा मानी गईं। विवादित आराजीयत के समक्ष में सेटलमेंट के दौरान तैयार की गई नक्शा शीट में ग्रीनलाईन अंकन 1964 के गजट नोटिफिकेशन के विरूद्ध डाला जाना पूर्णतया अनुचित है एवं वन सरंक्षण अधिनियम–1980 का खुला उल्लघंन है। पहले के फोरेस्ट सेटलमेंट के नक्शें में अंकित सीमा रेखा के स्थान पर वन विभाग की बाउण्ड्रीवाल उत्तर एवं दक्षिण की ओर जो ओदी के साथ लगी हुई है आज भी मौके पर बनी हुई मौजुद है, जिससे उक्त बाउण्ड्रीवाल के अन्दर की, पूर्वी दिशा की खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि अपीलान्ट की होना स्पष्ट है जो राजस्व रेकार्ड में भी अपीलान्ट के खाते दर्ज है। उक्त बाउण्ड्रीवाल एवं औदी से लगती हुई दिवार के फोटो पत्रावली पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार परिभाषित वन सीमा को बगैर भारत सरकार की स्वीकृति के रद्दोबदल करना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में साबिक बन्दोबस्त में जो वन सीमा का जो रेखाकंन किया गया था, जिसे ही वास्तविक एवं मूल वन सीमा मानी गई, उसे भू–प्रबन्ध के बंदोबस्त के दौरान ग्रीन लाईन से बदल दिया गया है। जबकि नोटिफाईड वन भूमि की सीमा गजट नोटिफिकेशन में अंकित होना अटल है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए राजस्व विभाग अथवा अन्य कोई अधिकृत नहीं है।

न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2017 को समक्ष पक्षकारों के आग्रह/निवेदन पर वनखण्ड बांकी के सम्पूर्ण वन भूमि के रेकार्ड, गत सेटलमेंट एवं वर्तमान सेटलमेंट के अनुरूप वनखण्ड के कब्जे में भूमि होने के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वे एवं सीमा ज्ञान हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 03.05.2019 को प्राप्त हुई। विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार है–

> वक्त सर्वे मौके पर व नक्शे में स्थित स्थाई बिन्दुओं को जो कि वन बन्दोवस्त के नक्शे में तथा हाल राजस्व (भू–प्रबन्ध) नक्शें में मौजुद है, से मिलान करते हुए मौके पर सर्वेक्षण कार्य किया गया। मौके पर निम्न स्थाई बिन्दुओं का आधार लिया गयाः–
>
> ग्राम गोवर्धन विलास, देवाली संयुक्त नक्शे में ख.नं. 65 (विजासन माता मंदिर), आ.न. 75 (शिकारवाडी गेट) आ.नं. 108 (कुंआ) आ.नं. 116 व 118 (की दक्षिणी पक्की बाउण्ड्रीवाल) आ.नं. 134 (नीचली औदी) आ.नं. 763 (कुंआ) आ.नं. 138 (खेत पक्की बाउण्ड्रीवाल) आ.नं. 719 (कुंआ) आ.नं. 812 (कुंआ) आ.नं. 819 (बरबडेश्वर महोदव) आ.नं. 890 (कुंआ)
>
> ETS मशीन द्वारा मौके पर सर्वेक्षण कार्य सम्पूर्ण होने पर कम्प्यूटर द्वारा नक्शा तैयार कर बटर पेपर पर प्रिंट निकाली गई व गांवों की भू–प्रबन्ध विभाग की मूल शीटों की कलर फोटो प्रति पर किये गये सव्रे का स्थाई बिन्दुओं से मिलान करते हुए सुपर इम्पोज किया गया। जो

मूल नक्शों में नीली स्याही द्वारा दर्शाया गया हैं। सर्वे किये गये स्थाई बिन्दुओं व नक्शे में दर्शित बिन्दुओं का मिलान सही हुआ है।

इसी प्रकार वन बन्दोवस्त विभाग द्वारा सन् 1945 में सर्वे कर तैयार किया गया नक्शा जिसकी आपत्तियां सुनने के बाद संशोधित कर सन् 1964 में फाईनल नोटिफिकेशन हुआ। उस नक्शें में वन विभाग की सीमा हेतु लाल लाईन दर्शित है तथा भू–प्रबन्ध विभाग (राजस्व) के हाल बन्दोवस्त के नक्शों में वन सीमा को हरी लाईन से दर्शाया गया है, जो सुपर इम्पोज किये जाने पर कहीं–कहीं पर विसंगीतपूर्ण प्रतीत होती है।

इसी प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग (राजस्व) के हाल बन्दोवस्त के नक्शों पर सुपर इम्पोज करने पर निम्न स्थिति स्पष्ट होती है।

(2) यह कि गोवर्धन विलास, देवाली के नक्शें में बिन्दु C से D तक सर्वे लाईन (नीले रंग की) तथा वन बन्दोवस्त नक्शे की (लाल लाईन) लगभग मिलान होता है किन्तु हाल राजस्व नक्शें में डाली गई हरी लाईन मुताबिक ज्यादा भिन्नता है (वन बन्दोवस्त व मौके सर्वे से)

(3) यह कि गोवर्धन विलास, देवाली के नक्शें में बिन्दु D से E तक सर्वे लाईन (नीली) वनबन्दोवस्त की लाल लाईन तथा हाल राजस्व नक्शें की हरी लाईन तीनों ही लाईनों में भिन्नता है लाल स्याही से दर्शित क्षेत्र की बाहरी सीमा पर बन विभाग के पिलर बने हुए है (कही–कही) तथा नीली लाईन (सर्वे की) पर मौके पर वन विभाग की पक्की दिवार बनी हुई है।

उपरोक्त रिपोर्ट से स्थिति ओर भी स्पष्ट होती है कि विवादित आराजीयात की अवस्थिति में भू–प्रबन्ध बंदोबस्त नक्शा में डाली गई हरी लाईन गजट नोटिफिकेशन एवं साबिक नक्शा में जो वन भूमि रेखांकित है, से भिन्न है। रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं सहस्वामियों के उपरोक्त वर्णित आराजीयात सन् 1964 में फाईनल नोटिफिकेशन के दौरान तैयार नक्शें में जो वन विभाग की सीमा हेतु लाल लाईन दर्शित है, उससे बाहर स्थित हैं। न ही उक्त भूमि कभी वन विभाग के कब्जे में रही। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं सहस्वामियों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उपरोक्त वर्णित आराजीयात की खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है और प्रभावित भी नहीं है।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 ने न्यायालय हाजा द्वारा कमेटी के गठन एवं प्राप्त रिपोर्ट को औचित्यहीन बताया है। यहा यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि उक्त कमेटी का गठन पेशी दिनांक 17.01.2017 के दौरान सभी पक्षकारान की सहमति से दिनांक 19.01.2017 को दोनों रेस्पोडेंट को शरीक करते हुए आदेश पारित कर की गई। उक्त कमेटी के गठन के दो वर्ष से अधिक समय उपरान्त बहस दिनांक 21.05.2019 को अधिवक्ता प्रत्यथी–2 द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई, इससे पूर्व इस दरमयान उनके द्वारा कमेटी गठन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त रिपोर्ट को औचित्यहीन भी बताया गया परन्तु उक्त रिपोर्ट वन विभाग के सहायक वन सरंक्षक द्वारा हस्ताक्षरित है, उनकी उपस्थिति में मौका परिक्षण कर सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। उनकी आपत्तियां भी रिपोर्ट में दर्ज की गई है यद्यपि उन आपत्तियों के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रत्यर्थी–2 के कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

जहा तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित में जिला कलक्टर (भू.अ.), उदयपुर की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 13.12.2011 का सम्बन्ध है, उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया और पाया गया कि **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट का त्रुटिपूर्ण निर्वचन किया गया है। उक्त रिपोर्ट में भी विवादित आराजीयात को खातेदार/काश्तकार के नाम होना माना गया है तथा न उक्त रिपोर्ट से कदापि यह निष्कर्ष प्रतिपादित होता है कि उक्त विवादित भूमि वन विभाग के स्वामित्व की है या रही है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट का पूर्ण अध्ययन किए बिना निर्णय में उक्त रिपोर्ट को अपील खारिज करने के अनावश्यक एक आधार बनाया है जबकि उक्त रिपोर्ट में कही भी विवादित भूमि वन विभाग की होना या पूर्व में होने का निष्कर्ष नहीं है।**

अधीनस्थ न्यायालय के अपने निर्णय दिनांक 12.11.2014 में प्रश्नगत प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96 से प्रभावित होना बताया गया और इसी के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया। प्रश्गनत प्रकरण में भी दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी–2 ने अपीलार्थी की भूमि को उक्त निर्णय से प्रभावित होना बताया है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में वन भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये है कि सरकारी रिकार्ड में जो भूमियां वन भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी है, उस भूमि पर फोरेस्ट कन्र्जवेशन एक्ट, 1980 के समस्त प्रावधान लागू होगे चाहे फोरेस्ट भूमि का वर्गीकरण या स्वामित्व किसी प्रकार का हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश प्रदान किये है कि वन भूमि क्षेत्र में गैर–वानिकी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है तथा बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के कोई भी अन्य कार्य अनुज्ञेय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के इसी निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2001 को इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ससम्मान अवलोकन हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजीयात के समक्ष साबिक बन्दोबस्त में जो वन सीमा का जो रेखाकंन किया गया था, जिसे ही वास्तविक एवं मूल वन सीमा मानी गई, उसे भू–प्रबन्ध बंदोबस्त के दौरान ग्रीन लाईन से बदल दिया गया है। जबकि नोटिफाईड वन भूमि की सीमा गजट नोटिफिकेशन में अंकित होना अटल है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए राजस्व विभाग अथवा अन्य कोई अधिकृत नहीं है। इन तथ्यों की ताईद मुख्य वन सरंक्षक, उदयपुर को पत्रांक 2677 दिनांक 18.11.2010, उपवन सरंक्षक (दक्षिण), उदयपुर ने भू–प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर को सम्बोधित करते हुए पत्र दिनांक 18.01.2011, वन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 15.12.2011 से होती है। **उपरोक्त वर्णित पेराज से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि कभी भी वन विभाग के नाम नहीं रही है, न कभी विन विभाग का कब्जा रहा, गजट नोटिफिकेशन–1964 अनुसार आरक्षित वन भूमि भी नहीं है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में साबिक बन्दोबस्त में जो वन सीमा का जो रेखाकंन लाल लाईन से किया गया था, उसे भू–प्रबन्ध के बंदोबस्त के दौरान दोहराना था, जो नहीं किया और बिना सक्षम स्वीकृति के ग्रीन लाईन का अंकन कर दिया। विवादित आराजीयात के समक्ष स्थित हरी लाईन का अंकन वन संरक्षण अधिनियम–1980, जो माह अक्टूबर, 1980 से प्रभाव में आया, उसके उपरान्त 1982 में किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजीयात की अवस्थिति में स्थित हरी लाईन का का अंकन माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96 एवं वन सरंक्षण अधिनियम–1980 का खुला उल्लघंन है जो भू–प्रबन्ध बंदोबस्त के दौरान किया गया है। इस अपीलान्ट एवं सहस्वामियों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उपरोक्त वर्णित आराजीयात की भूमि की अवस्थिति में विवादित ग्रीन लाईन का अंकन बिना किसी सक्षम आदेश, बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के एवं नियमों के विपरित किया गया है, जो पूर्णतया अनुचित व अवैधानिक है। उपरोक्तानुसार श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य के प्रकरण में वर्णित अनुसार उक्त क्षेत्र किसी भी प्रकार से वन भूमि शब्दकोष (Dictionary) अनुसार भी वन क्षेत्र नहीं है तथा न ही रेस्पोडेंट–2 द्वारा इस क्षेत्र में किसी प्रकार की वानिकी गतिविधियां होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है।**

– यह विधि का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि भू–प्रबन्ध के दौरान खातेदार की भूमि के राजस्व रेकार्ड व नक्शें में दर्ज इन्द्राज को बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना बदल दिये गये हे तो ऐसे इन्द्राज की दूरूस्ती भी धारा 136 में की जा सकती है। यही नही भू–प्रबन्ध की कार्यवाही बंद होने के बाद भू–अभिलेख संधारण का दायित्व भू–अभिलेख अधिकारी का है और

इस दौरान भी यदि इन्द्राज (रिकार्ड / नक्शा) इत्यादि गलतियां होती है जो उनके शुद्विकरण के अधिकार भी भू–अभिलेख अधिकारी को होगे, जिस हेतु शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी हुई है। इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी जो की एक भू–अभिलेख अधिकारी भी है, उसे नक्शों में की गई गलतियों को भी सुधार करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में वनखण्ड बांकी में राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन 1964 के आधार पर साबिक बन्दोबस्त में जो वन सीमा का जो रेखाकंन किया गया था उसे ही वास्तविक एवं मूल वन सीमा मानी गई। विवादित भूमि के समक्ष सेटलमेंट के दौरान तैयार की गई नक्शा शीट में ग्रीनलाईन अंकन 1964 के गजट नोटिफिकेशन के विरूद्ध डाला जाना प्रत्यक्ष तौर पर जाहिर होता है। पहले के फोरेस्ट सेटलमेंट के नक्शें में अंकित सीमा रेखा के स्थान पर वन विभाग की बाउण्ड्रीवाल उत्तर एवं दक्षिण की ओर जो ओदी के साथ लगी हुई है आज भी मौके पर बनी हुई मौजुद है, जिससे उक्त बाउण्ड्रीवाल के अन्दर की, पूर्वी दिशा की खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि अपीलान्ट की होना स्पष्ट है जो राजस्व रेकार्ड में भी अपीलान्ट के खाते दर्ज है। **किन्तु सेटलमेंट के दौरान तैयार की गई नक्शा शीट में गलती से जो विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन (ग्रीन लाईन) का अंकन किया गया है, उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार उक्त गलती धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इन्द्राज दुरस्ती योग्य है जिस हेतु उपखण्ड अधिकारी सक्षम है।**

– जहा तक वनखण्ड बांकी की 2900.80 एकड आरक्षित भूमि का प्रश्न है, प्रत्यर्थी–2 ने कथन किया की उक्त आरक्षित भूमि किसी भी हाल मे कम नहीं की जा सकती है। दिनांक 03.05.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट में वन विभाग की आरक्षित भूमि का मौके पर 100.2672 हैक्टेयर भूमि कम होने का अंकन किया गया है। प्रत्यर्थी के उक्त कथन का प्राप्त रिपोर्ट एवं उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए परिक्षण किया गया और पाया गया कि बांकी वनखण्ड की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग की गठित संयुक्त सर्वे टीम द्वारा बाकी वनखण्ड में आने वाले समस्त गावों (शहर, गोवर्धन विलास, देवाली, बलीचा, नाई, सीसारमा) में मौके पर स्थित वन विभाग की बाउण्ड्रीवाल / पील्लर का ETS मशीन द्वारा वन बन्दोवस्त के नक्शे (वन विभाग द्वारा सत्यापित एवं उपलब्ध कराये गये) एवं हाल राजस्व नक्शे में स्थित मुस्तकिल बिन्दुओं के आधार पर पर सर्वे कार्य किया गया। उक्त सर्वे कार्य के दौरान उपरोक्त समस्त गावों के साबिक नक्शें एवं हाल नक्शें में अंकित ग्रीन लाईन में भिन्नता पाई गई। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में हाल नक्शों में जो ग्रीन लाईन का अंकन किया जाना उपरोक्त विवेचन से अनुचित एवं अवैधानिक व बिना सक्षम स्वीकृति के पाया गया है। ऐसे स्थिति में वन विभाग के स्तर पर, अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के आधिपत्य स्वामित्व की खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज भूमि से सम्बन्धित उपरोक्त खसरा नम्बरों को छोडतें हुए, अन्य स्थानों पर भौतिक कब्जें के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है। **यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गजट नोटिफिकेशन–1964 के आधार पर जो सर्वे दिनांक 03.05.2019 के नक्शें तैयार किये गए उसमें अपीलाधीन प्रकरण की विवादित आराजीयात स्थल पर वन विभाग की भुमि होना नीली (भौतिक सर्वे), लाल (नोटिफिकेशन अनुसार) प्रकट नहीं आता परन्तु वन विभाग की भूमि जो करीब 100.2672 हैक्टेयर कमी है, वह अन्यत्र स्थलों पर हस्ब सर्वे रिपोर्ट दिनांक 03.05.2019 है, उसके लिए वन विभाग को सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी / न्यायालय स्तर से प्रकरणबार वन विभाग की भूमि को नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर संशोधन करवा कर प्राप्त करना चाहिए ताकि वास्तविक अधिसूचित भूमि वन विभाग को प्राप्त हो सकें।**

– उपरोक्त विस्तृत विवेचन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विवादित आराजीयात कभी वन विभाग की नहीं रही है जो गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.10.1964 व राजस्व रिकार्ड में

अपीलार्थी व अन्य सहस्वामियो के नाम खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज होने के साक्ष्य से प्रमाणित होती है। सन् 1964 में फाईनल नोटिफिकेशन हुआ, उस नक्शें में वन विभाग की सीमा हेतु लाल लाईन दर्शित है, उससे विवादित आराजीयात वन क्षेत्र से बाहर है। **यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन का अंकन बिना किसी सक्षम आदेश, बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के एवं नियमों के विपरित किया गया है। प्रत्यर्थीगणों द्वारा न ही अधीनस्थ न्यायालय एवं न ही न्यायालय हाजा समक्ष उस आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा विवादित आराजीयात के समक्ष स्थित हरी लाईन का अंकन किया गया। विवादित आराजीयात की भूमि गजट नोटिफिकेशन 1964 के अनुसार, विज्ञप्ति दिनांक 15.12.11 एवं भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत जमाबन्दी, पट्टे एवं मिसल इत्यादि के अनुसार आरक्षित वन भूमि नहीं है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में साबिक बन्दोबस्त में जो वन सीमा का जो रेखाकंन लाल लाईन से किया गया था, उसे भू–प्रबन्ध के बंदोबस्त के दौरान दोहराना था, जो नहीं किया और बिना सक्षम स्वीकृति के ग्रीन लाईन का अंकन कर दिया, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं वन सरंक्षण अधिनियम–1980 का खुला उल्लघंन है।** प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में अपीलाधीन आराजीयात वर्तमान में भी अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के नाम खातेदारी में होकर किस्म आबादी दर्ज है। **अपीलार्थी उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग एवं उपभोग हेतु स्वतंत्र है।**

प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी एवं अन्य सहस्वामियो के आधिपत्य स्वामित्व की उपरोक्त आबादी भूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन (1964)–वन बंदोबस्त के नक्शों व हाल नक्शों में अन्तर स्पष्ट है, जिनका सही इन्द्राज विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त समस्त कथन/प्रतिकथन, उपलब्ध साक्ष्यों एवं बहस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि राजस्व ग्राम गोवर्धन विलास की विवादित आराजीयात 135, 1056/132 एवं 1107/132 की अवस्थिति में हरी रेखा के अंकन, जिसके कारण उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा बांकी वनखण्ड की भूमि होना माना है, पर तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है–

1. **उक्त भूमि वर्ष 1954 से पूर्व बिलानाम होकर 1954 से निरन्तर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में किस्म आबादी दर्ज रही है।**

2. **उक्त भूमि पर वर्ष 1982 से 1985 के सर्वे पूर्व कभी भी उक्त भूमि को वन के रूप में दर्शित नहीं किया गया है, न ही उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व की होना अथवा अधिसूचित होना प्रकट है।**

3. **वन विभाग द्वारा स्वयं ग्राम गोवर्धन विलास एवं देवाली के वन विभाग के खसरों के गैर–वानिकी उपयोग में नहीं लिये जाने बाबत विज्ञप्ति दिनांक 15.12.2011 को जारी की है उसमें भी विवादित आराजीयात/खसरे शामिल नहीं है। वन विभाग द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों से भी उक्त अपीलाधीन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व होना या पूर्व में रहना प्रमाणित नहीं है अर्थात वन विभाग द्वारा कभी भी उक्त भूमि को अपने स्वामित्व में होने बाबत कोई उजर किसी भी सक्षम स्तर पर नहीं किया है तथा न ही इस प्रकरण में उक्त भूमि के पूर्व में या वर्तमान में वन विभाग की होने का कोई भी प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध है।**

4. **वर्ष 1982 से 1985 के सेटलमेंट के दौरान विवादित आराजीयात के समक्ष हरी रेखा का अंकन किए जाने के लिए कोई सक्षम आदेश/आदेशों का औचित्य प्रकट करने**

वाले साक्ष्य/दस्तावेज/अधिसूचना/वानिकी गतिविधियां होने के कोई साक्ष्य, उपलब्ध नहीं है।

5. **धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अनुसार भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी/नक्शें) में पूर्व प्रविष्ठियों को ही दोहरान का भू–प्रबन्ध विभाग का दायित्व है, सिवाय विरासत/हस्तान्तरण/सक्षम न्यायालय के आदेश। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलाधीन विवादित आराजीयात की अवस्थिति में बिना किसी सक्षम आदेश/वन विभाग के स्वामित्व का कोई साक्ष्य/दस्तावेज हुए बिना तथा पूर्व में इस प्रकार की कोई नक्शें में हरी लाईन के अंकन नहीं होने के बावजूद नक्शें में विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन का अंकन किया जाना निसंदेह भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटि है। इस त्रुटि का निराकरण किये जाने के लिए भू–अभिलेख अधिकारी को धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 अधिकृत करती है व ऐसी त्रुटियों का निराकरण इस विधिक प्रावधान के अन्तर्गत किया जाना ही विधिक उद्देशय सम्बन्धित अधिनियम का है। तद्नुसार यह प्रकरण निसंदेह राजस्व रिकार्ड/नक्शें में त्रुटि प्रविष्ठी (नक्शें में विवादित आराजीयात की अवस्थिति में हरी लाईन का अंकन) का सुधार किये जाने का है एवं उक्त सुधार किये जाने के लिए वांछित पूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य उपलब्ध है।**

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों और तथ्यों, गजट नोटिफिकेशन–1964, वन बंदोबस्त के दौरान तैयार नक्शें में हुए इन्द्राज, गत एवं हाल नक्शें में किए इन्द्राज, विभिन्न अधिनियमों, विज्ञप्ति दिनांक 15.12.2011, राजस्व रेकार्ड के स्थिति एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार एवं विश्लेषण नहीं कर निर्णय दिनांक 12.11.2014 को पारित किया। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 पूर्णतया विधि अनुरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय दिनांक 12.11.2014 तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत धारा–136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर निर्विवादित रूप से अपीलान्ट की खातेदारी किस्म आबादी भूमि राजस्व ग्राम गोवर्धन विलास खसरा नम्बर 135, 1056/132 एवं 1107/132 की अवस्थिति में अंकित हरी रेखा का नक्शें में त्रुटिपूर्ण रूप से अंकन किया हुआ है। यह अंकन अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया असंगत होने से त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि अपीलान्ट की अपीलाधीन आराजीयात की अवस्थिति पर उक्त हरी रेखा का विलोपन किया जाकर उक्त हरी रेखा को हस्ब राजस्व रेकार्ड (अधिकार अभिलेख)/वन विभाग की वास्तविक अधिसूचित भूमि स्थल पर अंतरित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर